

# GURUIGNOU.COM

## B.H.I.C.-131

### भारत का इतिहास (प्रारंभ से 300 ई. तक) (History of India from the Earliest times upto 300 CE)

***Disclaimer/Special Note:*** These are just the sample of the Answers/Solutions to some of the Questions given in the Assignments. These Sample Answers/Solutions are prepared by Private Teacher/Tutors/Authors for the help and guidance of the student to get an idea of how he/she can answer the Questions given the Assignments. We do not claim 100% accuracy of these sample answers as these are based on the knowledge and capability of Private Teacher/Tutor. Sample answers may be seen as the Guide/Help for the reference to prepare the answers of the Questions given in the assignment. As these solutions and answers are prepared by the private Teacher/Tutor so the chances of error or mistake cannot be denied. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing these Sample Answers/Solutions. Please consult your own Teacher/Tutor before you prepare a Particular Answer and for up-to-date and exact information, data and solution. Student should must read and refer the official study material provided by the university.

#### सत्रीय कार्य - ए

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 500-500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. हड्ड्यावासियों के धर्म और धार्मिक व्यवहारों के स्वरूप की चर्चा कीजिए।

उत्तर—धर्म एवं धार्मिक रीतियां

पूजा स्थल—मोहनजोदङ्गो में कई बड़े भवनों को मन्दिरों के रूप में देखा गया है, क्योंकि अधिकतर पत्थर की मूर्तियां, जिसमें मातृदेवी की काफी मूर्तियां हैं, इन्हीं भवनों से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदङ्गो में निचले नगर में एक बृहद इमारत मिली है। इसमें एक मंच है, जिस पर एक पाषाण शिल्प कृति प्राप्त हुई है। इस इमारत में एक और मूर्ति मिली है। इसी कारण इस इमारत को विद्वानों ने मन्दिर माना है। मोहनजोदङ्गो से प्राप्त विशाल स्नानागार को धार्मिक क्रिया-कलापों से जोड़ा जाता है। कुछ भी हो यह तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान मन्दिर की तरह कोई संरचना नहीं मिली है।

आराध्य—इस बारे में जानकारी मृणमूर्तियों से मिलती है। इन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है, आदि शिव की मूर्ति, जो योगी की मुद्रा में बैठा है। वह देवता, बकरी, हाथी, शेर तथा हिरण से धिरा हुआ है। मॉर्शल ने इसे पशुपति माना है। एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ प्राप्त हुआ है, शायद यह उर्वरता की देवी थी। एक देवता जिसके सिर पर सोंग और लम्बे बाल हैं, वह पीपल की शाखाओं के बीच खड़ा है। एक उपासक उसके सामने झुका हुआ है। प्रमाणों से पता चलता है कि सारे स्थलों पर शिव की पूजा होती है।

मातृदेवी—हड्ड्या स्थलों से प्राप्त मृणमूर्तियों में सबसे अधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है। इन्हें मातृदेवी माना गया है। कभी-कभी उनके साथ शिशु भी दिखाए गए हैं। इन मूर्तियों से गर्भ धारण के साक्ष्य भी मिले हैं।

वृक्ष आत्मां—हड्ड्या सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इसी सन्दर्भ में वृक्षों की पूजा करते थे। पूजा किए जाने वाले वृक्षों में पीपल, नीम प्रमुख थे। वृक्षों की शाखाओं के बीच से झांकती हुई मूर्तियां इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि उनका विश्वास था कि वृक्षों में आत्मा का निवास होता है।

कुछ पौराणिक नायक—कुछ ऐसी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनका धार्मिक महत्व हो सकता है, जो मुहरों पर पायी गई हैं। दो शेरों से लड़ता हुआ एक पुरुष उस तथ्य की ओर इशारा करता है, जब प्रसिद्ध योद्धा गिलगणेश दो शेरों को मारता है।

जानवरों की पूजा—लोग कई प्रकार के जानवरों की पूजा करते थे, मृणमूर्तियों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। चन्हुदङ्गो से एक मूर्ति मिली है, जिसमें सांड का स्त्री की झुकी हुई आकृति के साथ संभोग करते हुए दिखाया गया है।

**For More Solved Assignment Click Guruignou.com**



# GURUIGNOU.COM

**मिथकीय जानवर**—ऐसी भी मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर विभिन्न स्वरूप वाले जानवरों को दिखाया गया है। एक ऐसा जानवर मिला है, जिसका अगला हिस्सा मनुष्य का तथा पिछला हिस्सा शेर का है। इसी प्रकार भेड़ों, बैलों तथा हाथियों की मिली-जुली आकृतियां भी मिली हैं।

**मृतकों का अन्तिम संस्कार**—हड्पा सभ्यता से ऐसा कोई स्मारक प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि मिस्र में प्राप्त होता है। मिस्र में मृतकों के लिए पिरामिड बनाया जाता था। फिर भी हड्पा सभ्यता के लोगों में प्रचलित अन्तिम संस्कार की कुछ जानकारी मिलती है। हड्पा में कई कब्रें मिली हैं। शब को सामान्य तौर पर उत्तर-दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। कब्रों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। हड्पा की एक कब्र में ताबूत भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में शवाधान की अलग रीतियां प्रचलित थीं। यहां छोटे-छोटे वृत्ताकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं। इनमें राखदानियां तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। किन्तु यहां कंकालों के अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसे गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें हड्डियां एकत्रित मिली हैं। लोथल से एक युग्म शवाधान मिला है, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष को साथ ही दफनाया गया था। मृतकों के साथ कब्र में आवश्यक वस्तुओं को रखना इस बात का द्योतक है कि हड्पा सभ्यता के लोग मरणोपरान्त जीवन में विश्वास करते थे। उपर्युक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग संस्कार की विधियां प्रचलित थीं।


## प्रश्न 4. मौर्यों के राजस्व प्रशासन का वर्णन कीजिए।

**उत्तर-**कृषि और भू-राजस्व—राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। सिद्धान्तः यह उपज का 1/6 भाग होता था। लेकिन व्यवहारः यह 25% तक देना होता था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। भूमि कर को ‘भाग’ कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ‘सीता’ कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। ‘स्थानिक’ तथा जोम’ नाम पदाधिकारी प्रान्तों से कर एकत्र करते थे। संख्या की दृष्टि से कृषकों के बाद दूसरा स्थान सैनिकों का था। इन्हें नकद वेतन मिलता था तथा युद्ध सामग्रियां राज्यों द्वारा प्रदान की जाती थीं, राजा भाग के अतिरिक्त अन्य कर भी लेता था, जो बलि कहलाता था। संकटकालीन अवस्था में कौटिल्य ने राजा ‘प्रणय कर’ (आपातकालीन कर) वसूल करने का अधिकार दिया था।

- (i) औभानिक—विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट।
- (ii) पाश्वर्य—अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से (उपकर) लिया जाता था।
- (iii) कौष्ठेयक—सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाये जाने वाला कर।
- (iv) परिहीनक—सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि को हर्जाने के रूप में लिया जाता था।
- (v) ध्रुवाधिकरण—भूमि कर संग्रहकर्ता था।
- (vi) रन्जु—भूमि की नाप के समय लिया जाता था।
- (vii) विवित—पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था।
- (viii) सेतु—फल-फूल पर लिया जाने वाला कर।

कौटिल्य ने उन विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया है, जिनसे राज्य की आय होती थी। इस विभाग की देखभाल सन्निधाता नामक अधिकारी करता था।

## राजस्व के साधन



For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

राजस्व के इन स्रोतों से राजस्व वसूलने के तरीके भिन्न-भिन्न थे; जैसे-

(i) नगरों में आमदनी जुर्माना, बिक्री कर (शुल्क) आदि से होती थी। शराब की बिक्री पर भी कर लगाया जाता था, धनवान लोगों के लिए एक प्रकार का आयकर भी था। शहरों में लगाये जाने वाले 21 प्रकार के करों का वर्णन है।

(ii) राज्य भूमि से आमदनी, किसानों से लगान, फलोद्यान का कर, नौका शुल्क आदि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(iii) समस्त खाने राज्य के नियंत्रण में थीं।

(iv) सड़क या जलमार्ग से यात्रा करने वाले व्यापारियों पर कर लगाया जाता था।

(v) आयात एवं निर्यात कर आदि।

1. कुछ क्षेत्रों में राज्य सम्बंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से वसूली करता था; जैसे—जुआरियों को अपनी जीती हुई रकम का पांच प्रतिशत राज्य को देना होता था।

2. राज्य अधिकारियों द्वारा वस्तुओं के भार की जांच और उससे संबंधित प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए व्यापारियों को शुल्क देना पड़ता था।

3. शस्त्र उद्योग और नमक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने के कारण भी राज्य की आय में वृद्धि हुई।

4. राज्य को आपातस्थिति में कर लगाने का अधिकार था।

राजस्व को जमा करने और उसके विधिवत अनेक नियंत्रण के लिए अनेक विभाग भी थे। राजस्व का अधिकतर भाग राजकोष में जमा होता था तथा उसी से राजा, सेना, प्रशासन, अधिकारियों के वेतन आदि का खर्च पूरा होता था।

**राजस्व व्यय**—राजा लगान में छूट देने का अधिकारी था। अशोक ने लुम्बिनी गांव में ‘भाग’ घटा कर 1/8 कर दिया था, क्योंकि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था।

भू-राजस्व मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार था, इसलिए काफी सूझ-बूझ के साथ भूमि की उर्वरता के आधार पर विभिन्न गांवों पर अलग-अलग कर लगाए जाने का प्रावधान रखा गया था। विभिन्न प्रकार के राजस्व वसूल करने वाले और उसका निर्धारण करने वाले अधिकारियों की विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई है। मौर्य काल में करारेपण और वसूली की पद्धति सुदृढ़ थी और राज्य के बड़े हिस्से से अपार राजस्व वसूल किया जाता था। इसी राजस्व के बल पर सरकारी तंत्र और सेना का रख-रखाव संभव हो सका।

चूंकि मौर्य राज्य की आमदनी का स्थायी और अनिवार्य स्रोत भू-राजस्व था। लोगों से अधिक से अधिक कर वसूलने के लिए अलग से एक विभाग था, जिसका प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। कोषाध्यक्ष सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। राजस्व, वस्तु के रूप में भी प्राप्त किया जाता था। अतः इस प्रकार की आय को संगृहीत करना सन्निधाता का ही कार्य था।

यूनानी लेखकों के अनुसार, किसान कर के रूप में कुल उपज का चौथाई हिस्सा राज्य को देते थे। किसान नजराना भी देते थे। भूमि कर (भाग) राजस्व का प्रमुख आधार था। कर कुल उपज का छठा हिस्सा होता था। लेकिन मौर्य काल में यह हिस्सा चौथाई तक पहुंच गया था। अशोक लुम्बिनी शिलालेख में कहता है कि बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की यात्रा के दौरान उसने उस गांव को बलि कर से मुक्त कर दिया और भाग कर को घटाकर कुल उपज का आठवां हिस्सा कर दिया।

भू-राजस्व का एक प्रचलित तरीका बटाई था। बटाईदारों को पहले बीज, हल-बैल आदि और खेती के लिए जमीन दी जाती थी। इस मामले में कृषक संभवतः कुल उपज का आधा हिस्सा राज्य को दे देता था। किसानों को दूसरे अनेक प्रकार के नजराने प्रस्तुत करने पड़ते थे। मौर्यों ने कुछ नये कर शुरू किए और पहले से लगे करों को और भी प्रभावी बनाया। पिंड कर एक प्रकार का रिवाजी कर था, जो किसानों से समय-समय पर लिया जाता था। इस कर का निर्धारण सामूहिक रूप से होता था, जिसमें अनेक गांव शामिल होते थे। गांवों को उनके क्षेत्र से गुजरती हुई राजकीय सेना के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती थी। हिरण्य नामक कर एक प्रकार का नकद कर था, क्योंकि हिरण्य का अर्थ सोना होता है। वैदिक काल से चला आ रहा बलि कर मौर्यों के अधीन भी कायम रहा।

**For More Solved Assignment Click Guruignou.com**



# GURUIGNOU.COM

राज्य को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए और अधिक करारेपण करना पड़े तो आपात स्थिति के दौरान लागू किए जाने वाले करों की सहायता ले सकता है। इस प्रकार के करों में प्रमुख है युद्ध कर, जिसे प्रणय कहा जाता है। यह कुल उपज का एक-तिहाई या एक-चौथाई होता था। यह हिस्सा भूमि की उर्वरता पर निर्भर था। इस कर को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बताया जाता है, परन्तु यथार्थ में यह निश्चित रूप से अनिवार्य कर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त आपातकाल में किसानों को दो फसल उगाने के लिए बाध्य किया जा सकता था। इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि अकाल के समय में यह कदम उठाना आवश्यक था, क्योंकि इस समय भू-राजस्व की वसूली काफी कम हो जाती होगी।

## सत्रीय कार्य - बी

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 250-250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 5. वे कौन से प्रमुख कारक थे, जिनकी वजह से आगे चलकर छठी शताब्दी ई. पूर्व के दौरान शाहरीकरण हुआ?

उत्तर-वस्तुतः उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों में कालान्तर में कुछ न कुछ जोड़ा जाता रहा है। प्राप्त लिखित ग्रन्थ एक हजार वर्ष से भी कम पुराने हैं। अतः इनसे समुचित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। उत्खनन से प्राप्त सूचनाएं ही इस काल में नगरों के सम्बन्ध में ठोस ज्ञान प्रस्तुत करती हैं। इसके दो कारण हैं-

प्रथम, पुरातात्त्विक आंकड़ों को अधिक निश्चितता के साथ कालबद्ध किया जा सकता है।

दूसरे, साहित्यिक विवरणों में नगरों की ऐश्वर्यता एवं चमक-दमक को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में इस प्रकार की पक्षता नहीं होती है।

700 ई.पू. के लगभग, अयोध्या, कोशाम्बी और श्रावस्ती जैसी छोटी बस्तियां अस्तित्व में आईं। छठी शताब्दी ई. पू. के आसपास इस क्षेत्र के निवासी इस शैली के मृद्भांडों के साथ-साथ एक विशेष प्रकार के चमकदार परत वाले मृद्भांडों का उपयोग करने लगे। इस प्रकार के मृद्भांड को उत्तरी काली पाँचिला वाले मृद्भांड (NBPW) कहते हैं। यह उच्च किस्म के मृद्भांड छठी शताब्दी ई. पू. गंगा घाटी के नगरों में व्यापक सांस्कृतिक समरूपता को प्रकट करते हैं। इन मृद्भांडों का कुछ ही स्थलों पर निर्माण होता था और दूसरे स्थलों को इसका व्यापारियों के द्वारा निर्यात किया जाता था। पुरातात्त्विक स्थलों पर इस काल के सिक्के भी मिलते हैं। प्राचीन भारत में इस काल में प्रथम बार सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हुआ। चांदी और तांबे से सिक्कों का निर्माण होता था। इन सिक्कों को सामान्यतः पंच-चिह्न वाले सिक्के कहा जाता है। इन पर एक ओर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को बनाया गया है। सिक्कों की प्रणाली के कारण संगठित व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उत्खनन वाले स्थलों पर तांबे-लोहे के मिश्रित इस काल के पंच चिह्न वाले कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर कुछ नहीं लिखा है।

बड़ी बस्तियों में घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा था। घरों से निकले गंदे पानी के लिये गड्ढे बनाये जाते थे जिनमें पक्की मिट्टी के बड़े पात्र रखे जाते थे। बड़े आकार की बस्तियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं अर्थात् जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा था। कुछ स्थानों से नाली तथा मल स्थलों के भी प्रमाण मिले हैं।

उत्खनन से प्राप्त सामग्री से साहित्यिक सामग्री में संशोधन हुआ है—

1. उत्खनन से प्राप्त सामग्री से स्पष्ट है कि इस काल के लिए साहित्य में नगरों से संबंधित विवरण काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिया गया है। नगरों के विषय में प्राप्त प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता कि किसी भी नगर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। तक्षशिला शहर के विशाल स्तर पर किए गए उत्खनन से स्पष्ट होता है कि यह नगर शायद आठवीं-सातवीं शताब्दी ई.पू. ही अस्तित्व में आया।

2. साहित्य में वर्णन आया है कि अयोध्या और वैशाली जैसे नगरों का क्षेत्रफल 30 से 50 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन उत्खनन से पता चलता है कि इनमें से कोई भी नगर 4 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक नहीं था।

3. विशाल महलों एवं चौड़ी सड़कों का वर्णन भी अतिरिक्त मालूम होता है। कोशाम्बी के महल की संरचना के अतिरिक्त छठी शताब्दी ई. पू. अन्य किसी भी महल की संरचना का विवरण नहीं मिलता। अधिकतर घर सामान्य झोंपड़ियों की भाँति थे।

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

सम्भवतः विशाल महलों के साथ सम्पन्न नगर मौर्य काल के दौरान अस्तित्व में आये। उपलब्ध साहित्य से मालूम पड़ता है कि मौर्य काल के नगरों को स्तर मानकर उससे पूर्व के काल के नगरों का वर्णन किया गया है।

**प्रश्न 8. भगवान् महावीर की शिक्षाओं का मुख्य विषय क्या था? चर्चा कीजिए।**

उत्तर—महावीर की शिक्षाएं—बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म संसार को दुःखों का घर मानता है। मनुष्य जब पैदा होता है और जब तक मरता है, तुष्णा से विरा रहता है। जितना एक मनुष्य प्राप्त करता जाता है, उतनी ही उसकी कामना बढ़ती जाती है। बुद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म का उद्देश्य भी दुःखों को दूर करना है। दुःखों का मूल कारण इच्छाएं हैं और मनुष्य का सुख संसार को त्याग देने में ही है। उसे इस संसार में किसी से कोई भी लगाव नहीं रखना चाहिए और भिक्षु बनकर घूमते रहना चाहिए।

महावीर ने इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम बताये हैं—

1. अहिंसा,
2. चोरी न करना (अचौर्य),
3. झूठ न बोलना (अमृषा),
4. किसी प्रकार की सम्पत्ति न रखना (अपरिग्रह),
5. ब्रह्मचर्य या इन्द्रिय निग्रह।

जैनियों का विश्वास है कि इनमें से पहले नियमों का प्रचार पाश्वनाथ ने भी किया। महावीर ने पांचवां व्रत जोड़ दिया तथा कि उन्होंने पुराने नियमों को नया रूप दिया और लोगों को उच्च कोटि का नैतिक जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। महावीर ने गृहस्थियों के लिए कुछ सरल नियम बताये थे, परन्तु भिक्षुओं को कठोर नियम बताए और उन्हें इनको बड़ी कठोरता से पालन करना होता था। कर्म-फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् आचरण। सत् में विश्वास को ही सम्यक् दर्शन कहा गया है। सद्गुरु का शकाविहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख-दुख के प्रति समभाव सम्यक् आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर अत्यधिक बल दिया गया है।

जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

1. पांच अणु व्रत—सर्वप्रथम गृहस्थ (श्रावक) के धर्म का विवरण है। गृहस्थ के लिए पांच अणु व्रतों का पालन अनिवार्य था। गृहस्थों के लिए पांचों से बचना असम्भव नहीं है। सांसारिक कार्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ न कुछ अनुचित कार्य करने ही पड़ते हैं। अतः उनके लिए अणुव्रतों का विधान था। अणुव्रत निम्नलिखित हैं—

(i) अहिंसा अणु व्रत—जैन धर्म के अनुसार अहिंसा व्रत का पालन करना अनिवार्य है। मन, वचन तथा कर्म से हिंसा करना पाप है, परन्तु गृहस्थों के लिए अहिंसा व्रत को पूर्णरूप से पालन करना सम्भव नहीं है। अतः गृहस्थों (श्रावकों) के लिए 'स्थूल अहिंसा' का विधान किया गया। स्थूल अहिंसा का अभिप्राय है, निरपराधियों से हिंसा न की जाए।

(ii) सत्याणु व्रत—अनेक कारणों से मनुष्य की प्रवृत्ति असत्य बोलने की हो जाती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्गेग इसके प्रधान कारण हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को दबाकर सर्वदा सत्य बोलना चाहिये।

(iii) अचौर्य व्रत अथवा अस्तेय—किसी भी प्रकार दूसरों की चोरी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई अथवा रखी हुई वस्तु को ग्रहण न करना चाहिए, अपितु उन्हें उनके स्वामियों को दे देना चाहिये।

(iv) ब्रह्मचर्याणु व्रत—मन, वचन तथा कर्म से भी परस्त्री समागम करना, अपनी पत्नी में ही संतोष रखना तथा स्त्री के लिए मन, वचन तथा कर्म से परपुरुष का समागम न कर अपने ही पति में संतोष रखना ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है।

(v) परिग्रह परिमाण अणुव्रत—आवश्यकता से अधिक धन-धान्य का संग्रह न करना 'परिग्रह परिमाण अणु व्रत' कहलाता है। गृहस्थों के लिए धनोपार्जन करना तो आवश्यक है, किन्तु उसमें लिप्त हो जाना पाप है।

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

2. तीन गुण व्रत—पांच अणु व्रतों के अतिरिक्त तीन गुण व्रत हैं। अणु व्रतों का पालन ही गृहस्थों (श्रावकों) को सदैव करना ही चाहिए, किन्तु समय-समय पर उन्हें कठोर व्रतों का भी पालन करना चाहिए। इन कठोर व्रतों को जैन साहित्य में गुण व्रत कहा गया है। ये निम्नलिखित हैं—

(i) दिग्मिवरति—गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी यह व्रत ले लें कि ‘मैं इस दिशा में इससे अधिक दूर नहीं जाऊंगा।’ इस व्रत को लेकर निश्चित किए गए प्रदेश में ही निवास करें और कभी भी उस परिसीमा का उल्लंघन न करें।

(ii) अनर्थ दण्ड विरति—मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य करता है, जिससे उसको कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसे कार्यों से सदैव ही बचना चाहिए।

(iii) उपभोग—परिभोग परिमाण—गृहस्थ को यह भी व्रत लेना चाहिए कि ‘मैं परिमाण में इतना भोजन करूंगा, भोजन में इतने से अधिक वस्तुएं नहीं खाऊंगा’ इत्यादि। इस प्रकार के व्रत लेने से मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर सुगमतापूर्वक संयम कर सकता है।

3. चार शिक्षा व्रत—उपर्युक्त तीन गुण व्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षा व्रत हैं, जिनका पालन करना भी गृहस्थों के लिए आवश्यक है। इनका विवरण निम्न प्रकार है—

(i) देश विरति—एक देश तथा क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे आगे गृहस्थ न जाए और अपना कोई व्यवहार करे।

(ii) सामयिक व्रत—निश्चित समय पर (यह निश्चित समय जैन धर्म के अनुसार प्रातः सांय और मध्याह्न है।) सभी प्रकार के सांसारिक कृत्यों से विरत होकर, सब राग-द्वेष छोड़कर, साप्य भाव धारण कर, शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होने की क्रिया को ‘सामयिक व्रत’ कहा जाता है।

(iii) पौष्टिकवास व्रत—प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्यों का परित्याग कर ‘मुनियों के समान जीवन’ व्यतीत करने के प्रयत्न को ‘पौष्टिकवास व्रत’ कहते हैं। इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्याग कर धर्मकथा ही श्रवण करनी चाहिए।

(iv) अतिथि-संविभाग व्रत—विद्वान् अतिथियों एवं मुनियों का सम्मानार्थक स्वागत करने को अतिथि ‘संविभाग व्रत’ कहा जाता है।

उपर्युक्त गुणों, व्रतों एवं शिक्षा व्रतों का पालन करना गृहस्थों के लिए अत्यन्त लाभदायक है। इनके द्वारा वे मुनि बनने की तैयारी कर सकते हैं। सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए गृहस्थ का पालन करना आवश्यक है। अतः जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करना अनुचित नहीं है, किन्तु गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वह पापों से अलग रहकर मोक्ष प्राप्ति के साधनों से तत्पर रहे।

4. पांच महाव्रत—जैन मुनियों के लिए पांच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। सर्वसाधारण के लिए पापों से बचना सम्भव नहीं है, इसलिए उनके लिए अनुव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, परन्तु मुनियों के लिये सर्वथा पापों से मुक्त रहना अनिवार्य है। अतः मुनियों के लिए निम्नलिखित पांच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है—

(i) अहिंसा महाव्रत—जैन मुनियों के लिए अहिंसा व्रत का सर्वोपरि महत्व है। किसी भी प्रकार के जीवन की हिंसा करना महापाप है। अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अत्यन्त उपयोगी है—

(क) ईर्ष्या समिति—मार्ग पर चलते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हिंसा न हो जाये। अतः ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए, जहां हिंसा होने की सम्भावना बहुत कम हो।

(ख) एषणा समिति—शिक्षा ग्रहण करते समय मुनि को यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई अथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि तो नहीं हैं।

(ग) भाषा समिति—सर्वदा प्रिय तथा मधुर भाषण करना चाहिए। कठोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है। वाक्युद्ध का भी ध्यान रखना चाहिए।

(घ) आदान क्षेपणा समिति—मुनि को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनमें निरन्तर यह देखते रहना कि कहीं कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं।

(ङ) व्युत्सर्ग समिति—पेशाब अथवा मल त्याग के समय इस बात का ध्यान रखना कि उस स्थान पर कीड़े तो नहीं हैं, जिससे हिंसा हो जाये।

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

(ii) असत्य त्याग महाब्रत—सत्य एवं प्रिय भाषण करना ‘असत्य त्याग महाब्रत’ कहा जाता है। इस व्रत के लिए पांच भावनाएं उपयोगी हैं—

- (क) अनुविम भाषी—भली-भाँति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए।
- (ख) कोहं परिजानाति—क्रोध तथा अहंकार का वेग होने पर भाषण नहीं करना चाहिये।
- (ग) लोभ परिजानाति—जिस समय लोभ का वेग हो, उस समय भाषण नहीं करना चाहिये।
- (घ) भयं परिजानाति—भय के कारण असत्य भाषण नहीं करना चाहिए।
- (ङ) हासं परिजानाति—हँसी में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिये।

(iii) अस्त्रेय महाब्रत—किसी की चोरी न करना तथा किसी की अनुमति के बिना किसी की वस्तु न लेना ‘अस्त्रेय’ कहा जाता है। इसके लिए मुनियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये—

- (क) गृहपति की अनुमति के बिना जैन मुनि को घर में नहीं प्रविष्ट होना चाहिये।
- (ख) भोजन में जैन मुनियों को वही वस्तु लेनी चाहिये, जिसकी भिक्षा के लिए गुरु से अनुमति मिल चुकी हो।
- (ग) किसी गृहपति के घर में बगैर उसकी अनुमति के नहीं रहना चाहिये।
- (घ) गृहपति की आज्ञा के बिना शर्या, आसन या किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- (ङ) जिस घर में कोई मुनि हो, उसमें अन्य कोई मुनि निवास न करे।

(iv) ब्रह्मचर्य महाब्रत—ब्रह्मचर्य महाब्रत के लिए निम्नलिखित भावों का होना आवश्यक है—

- (क) किसी भी स्त्री से वार्तालाप न करना।
- (ख) मन में किसी स्त्री की ओर दृष्टिपात न करना।
- (ग) स्त्री संसर्ग से प्राप्त सुख का मन में भी ध्यान न लाना।
- (घ) अधिक भोजन न करना। मसाला, तिक्त पदार्थ आदि ब्रह्मचर्य नाशक वस्तुओं का त्याग किया जाए।
- (ङ) जिस घर में कोई स्त्री रहती हो, वहां जैन मुनि को निवास न करना चाहिये।

(v) अपरिग्रह महाब्रत—किसी भी वस्तु, रस अथवा व्यक्ति के साथ सम्बन्ध न रखना एवं सबसे निलेंप रहना, ‘अपरिग्रह व्रत’ कहा जाता है।

प्रश्न 9. सिकंदर के भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर—भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव को निम्न बिंदुओं के रूप में देखा जा सकता है—

राजनीतिक प्रभाव—हालांकि यूनानी आक्रमण का राजनीति में विशेष प्रभाव नहीं माना जाता, तथापि इसके कुछ राजनीतिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक यूनानी उपनिवेश एवं नगर (सिकंदरिया, निकट्या, बहुकेफला) की स्थापना की।

उसने प्रशासनिक निपुणता का परिचय देते हुए एक सूत्रता को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से जीत कर इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया।

आर्थिक प्रभाव—यूरोप तथा भारत के बीच व्यापारिक संपर्क कायम हुआ तथा नए रास्तों की खोज हुई। सिकंदर ने भारतीय क्षेत्र में कई नगर बसाये जैसे की सिकंदरिया (काबुल के पास), बहुकेफला (झेलम के तट पर) आदि। भारत में यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गये।

सांस्कृतिक प्रभाव—भारत पर यूनानी आक्रमण के निम्न प्रमुख प्रभाव पड़े—

1. दोनों महान संस्कृतियों में विचारों का आदान प्रदान हुआ।
2. यूनानी ज्योतिष तथा कला का भारत में आगमन हुआ।

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

3. गांधार कला शैली का विकास हुआ।

4. मौर्य सत्रभों के सिर पर पशु आकृतियों का निर्माण यूनानी शैली की देन प्रतीत होती है।

**इतिहास निर्माण में महत्त्व-**सिकंदर की सेना के साथ कई लेखक एवं विद्वान आए, जिन्होंने भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां लिख छोड़ी हैं। आधुनिक काल में प्राचीन भारत को जानने की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है।

स्पष्ट है कि ईरानी आक्रमण की तरह ही यूनानी आक्रमण का भी राजनीतिक प्रभाव नगण्य होने के बाद अन्य दृष्टि से काफी प्रभाव रहा।

बुद्ध काल या पूर्व मौर्य काल में ईरानी एवं यूनानी आक्रमण के निश्चित ही कई प्रभाव देखने को मिले, लेकिन उपयुक्त प्रभावों के बावजूद भारतीय सभ्यता व संस्कृति का मूल रूप पूर्णतया अप्रभावित रहा।

**प्रश्न 12. तमिल वीर काव्य की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। उनके साहित्यिक गुण क्या थे?**

**उत्तर-**संघ काव्य (प्रेम और वीरता का काव्य) – तमिल काव्यों को संगम साहित्य कहा जाता था, क्योंकि इन्हें संगम द्वारा एकत्रित किया गया। संगम विद्वतजनों की एक सम्पूर्ण थी। ये कविताएं संगम से भी पुरानी हैं। वास्तव में इनका संकलन किया गया था। संगम के बारे में कई किंवदंतियां हैं। परम्परा के अनुसार तीन संगम अस्तित्व में थे। कपिलर, पारानर, अच्यायर और गौतम नार इस काल के जाने माने कवि थे।

## वर्गीकरण

एटटूतोंगे या कविताओं के आठ संग्रह और पत्तुप्पाटटू या दस काव्य संग्रह, काव्य संग्रह की दो श्रेणियां हैं, जिनमें वीर गाथाएं हैं। काव्य संग्रहों को अकम में बांटा गया है, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ प्रेम जैसे विषयों का वर्णन है और पुरम में लूट और सर्वनाश विषयों का वर्णन है। अकम में चार सौ कविताएं हैं तथा पुरनानुरु काव्य संग्रह में पुरम शीर्षक पर आधारित कविताएं हैं। ये दोनों एटटूतोंगे श्रेणी में ही आते हैं। इन ग्रंथों के व्याकरण का ग्रंथ तोल्कपियम और 18 धर्मोपदेश के वर्णन वाला पतिनेकीशकणक भी आता है। तिरुकुरल 18 धर्मोपदेशों में से एक है।

## काव्य संगठन

मौखिक भाट साहित्य के सिद्धान्तों के आधार पर काव्य संकलन किया गया। इसमें भरपूर मुहावरों तथा अभिव्यक्तियों का प्रयोग मिलता है। ये मुहावरे उस समय में लोक प्रचलन में थे। कवि इनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति तथा इनका प्रयोग करना जानते थे। मौखिक कविता में छंद रचनाओं की तकनीक साधारण शैली एवं अभिव्यक्तियों पर निर्भर करती थी।

## समय निर्धारण की समस्या

तमिल रचनाओं के समय को ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता। कविताएं भिन्न-भिन्न समयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका संकलन दूसरी सदी ई.पू. से तीसरी सदी ई.पू. के बीच हुआ है। इनका काव्य संग्रह के रूप में संकलन छठी सदी से नौवीं सदी के काल में हुआ। इसी प्रकार इनकी समीक्षाओं का काल 13वीं-14वीं सदी रहा।

## काव्यशास्त्र

संगम साहित्य पर आधारित विकसित काव्य परम्पराओं का विकास हुआ। पारम्परिक तमिल काव्य की दो मूलभूत विशेषताओं को अकम एवं पुरम काव्य शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। अकम को प्रेम के पांच उपभागों में विभाजित किया गया है। पुरम काव्य में ऐसे प्रतिबंधों का अनुसरण किया गया है, जो दृश्यों और व्यवहार की विविधता से जुड़े थे।

## साहित्यिक विकास

तमिल साहित्य संस्कृत भाषा के समानांतर ही भाषाई परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी तमिल भाषा एवं साहित्य के विकास की प्रक्रिया कभी अलगाव की अवस्था में नहीं आयी। इस साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव है। इसमें आर्य संस्कृति के विषय में वर्णन

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



# GURUIGNOU.COM

है। वैसे तमिल साहित्य ग्रन्थों एवं भाषा के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद हैं। उनका कहना है कि यह भाषा द्रविड़ भाषा से है तथा अत्यधिक प्राचीन है।

## सत्रीय कार्य – बी

निम्नलिखित में से किहीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 100-100 शब्दों में दीजिए।

### प्रश्न 13. (क) मौर्यों का गुप्तचर विभाग

उत्तर-गुप्तचर अति प्राचीन काल से ही शासन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता रहा है। भारतवर्ष में गुप्तचरों का उल्लेख मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के उपयोग और उनकी श्रेणियों का विशद वर्णन किया है। राज्याधिपति को राज्य के अधिकारियों और जनता की गतिविधियों एवं समीपवर्ती शासकों की नीतियों के संबंध में सूचनाएँ देने का महत्वपूर्ण कार्य उनके गुप्तचरों द्वारा संपन्न होता था। रामायण में वर्णित दुर्मुख ऐसा ही एक गुप्तचर था जिसने रामचंद्र को सीता के विषय में (लंका प्रवास के बाद) जनापवाद की जानकरी दी थी।

भारतीय इतिहास में उल्लेख-अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजा के पास विश्वासपात्र गुप्तचरों का समुदाय होना चाहिए और इन गुप्तचरों को योग्य एवं विश्वस्त मन्त्रियों के निर्देशन में काम करना चाहिए। अर्थशास्त्र में 'समष्ट' एवं 'संचार' नामक दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। समष्ट कोटि के गुप्तचर स्थानीय सूचनाएँ देते थे और संचार कोटि के गुप्तचर विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण करके सूचनाएँ एकत्र करते थे। समष्ट कोटि के गुप्तचरों के अनेक प्रकार होते थे; यथा—कापातिक, उष्ठित, गृहपतिक, वैदाहक तथा तापस। संचार नामक गुप्तचर में सत्रितिक्षण, राशद एवं स्त्री गुप्तचर; जैसे—भिक्षुकी, परिवाजिका, मुंड, विशाली भी होती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के युग में सुदूर स्थित अधिकारियों पर नियंत्रण करने के लिये गुप्त संवाददाता एवं भ्रमणशील निर्णयिकों का उपयोग किया जाता था। ये संवाददाता अथवा निर्णयिक उन अधिकारियों के कार्यकलापों का भलीभौति निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते थे और राजा को इस संबंध में गुप्त रूप से सूचनाएँ भेजते थे। हिंदूकाल में इस प्रकार के गुप्तचरों का वर्ग अशोक के काल तक सुचारू रूप से कार्य करता रहा। उसके बाद भी शासन में गुप्तचरों का महत्व बना रहा। इन गुप्तचरों का पद राज्य के अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही दिया जाता था।

### (ख) कौशल का महाजनपद

उत्तर-उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद जिसकी राजधानी विश्वविश्रुत नगरी अयोध्या थी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है—

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्।

निविष्टः सरयूतेरे प्रभूत धनधान्यवान्॥

ऋग्वेद में वर्णन—यह जनपद सरयू (गंगा नदी की सहायक नदी) के तटवर्ती प्रदेश में बसा हुआ था। सरयू के किनारे बसी हुई बस्ती का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हो सकता है, यही बस्ती आगे चलकर अयोध्या के रूप में विकसित हो गयी। इस उद्धरण में चित्ररथ को इस बस्ती का प्रमुख बताया गया है। शायद इसी व्यक्ति का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है।

रामायण-काल में कोसल राज्य की दक्षिणी सीमा पर वेदश्रुति नदी बहती थी। श्री रामचंद्रजी ने अयोध्या से वन के लिए जाते समय गोमती नदी को पार करने के पहले ही कोसल की सीमा को पार कर लिया था। वेदश्रुति तथा गोमती पार करने का उल्लेख अयोध्याकाण्ड में है और तत्पश्चात् स्वदिका या सई नदी को पार करने के पश्चात् श्री राम ने पीछे छूटे हुए अनेक जनपदों वाले तथा मनु द्वारा इक्षवाकु को दिए गए समृद्धिशाली (कोसल) राज्य की भूमि सीता को दिखाई। जान पड़ता है कि रामायण-काल में ही यह देश दो जनपदों में विभक्त था—

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



Subscribe from Guru Ignou

# GURUIGNOU.COM

उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल—राजा दशरथ की रानी कौशल्या संभवतः दक्षिण कोसल (रायपुर-बिलासपुर के जिले, मध्य प्रदेश) की राजकन्या थी। कालिदास ने रघुवंश में अयोध्या को उत्तर कोसल की राजधानी कहा है। रामायण-काल में अयोध्या बहुत ही समृद्धिशाली नगरी थी।

महाभारत में भीमसेन की दिग्विजय-यात्रा में कोसल-नरेश बृहदबल की पराजय का उल्लेख है। अंगुत्तरनिकाय के अनुसार बुद्धकाल से पहले कोसल की गणना उत्तर भारत के सोलह जनपदों में थी। इस समय विदेह और कोसल की सीमा पर सदानीरा (गंडकी) नदी बहती थी। बुद्ध के समय कोसल का राजा प्रसेनजित था, जिसने अपनी पुत्री कोसला का विवाह मगध-नरेश बिबिसार के साथ किया था। काशी का राज्य जो इस समय कोसल के अंतर्गत था, राजकुमारी को दहेज में उसकी प्रसाधन सामग्री के व्यय के लिए दिया गया था। इस समय कोसल की राजधानी श्रावस्ती में थी। अयोध्या का निकटवर्ती उपनगर साकेत बौद्धकाल का प्रसिद्ध नगर था।

जातकों में कोसल के एक अन्य नगर सेतव्या का भी उल्लेख है। छठी और पाँचवीं शती ई. पू. में कोसल मगध के समान ही शक्तिशाली राज्य था, किन्तु धीरे-धीरे मगध का महत्व बढ़ता गया और मौर्य-साम्राज्य की स्थापना के साथ कोसल मगध-साम्राज्य ही का एक भाग बन गया। इसके पश्चात् इतिहास में कोसल की जनपद के रूप में अधिक महत्ता नहीं दिखाई देती, यद्यपि इसका नाम गुप्तकाल तक साहित्य में प्रचलित था।

विष्णु पुराण के इस उद्धरण में सम्भवतः गुप्तकाल के पूर्ववर्ती काल में कोसल का अन्य जनपदों के साथ ही देवरक्षित नामक राजा द्वारा शासित होने का वर्णन है। यह दक्षिण कोसल भी हो सकता है। गुप्तसम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ‘कोसलक महेन्द्र’ या कोसल (दक्षिण कोसल) के महेन्द्र का उल्लेख है, जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। कुछ विदेशी विद्वानों (सिलवेन लेवी, जीन प्रेज़ीलुस्की) के मत में कोसल आस्ट्रिक भाषा का शब्द है। आस्ट्रिक लोग भारत में द्रविड़ों से भी पूर्व आकर बसे थे।

■ ■

For More Solved Assignment Click [Guruignou.com](http://Guruignou.com)



Subscribe from Guru Ignou